उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

संख्याः– 310/08/PCS(P)-25)/G-2/2025-26 **दिनांकः 20 फरवरी, 2026**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2025 के संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 06.01.2026 के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए मा0 आयोग द्वारा निम्नवत् प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये है :–

क्र0 सं0	प्रार्थी का नाम अनुक्रमांक एवं दिनांक	प्रार्थी का कथन	कार्यालय टिप्पणी
01.	श्री जितेन्द्र (अनुक्रमांक 520279) 09.01.2026 एवं 10.01.2026	प्रार्थी का कथन है कि सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2025 में उनके अंक 89.8475 हैं जबकि उक्त परीक्षा में जिला सूचना अधिकारी पद (पदकोड–16) हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी की कट–ऑफ–मार्क्स 37.7634 है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि विज्ञापन की शर्तानुसार सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (पदकोड–16) हेतु शैक्षिक अर्हता हिन्दी विषय के साथ स्नातक उपाधि वांछित है। प्रार्थी विज्ञान में स्नातक है तथा हिन्दी साहित्य में परास्नातक की उपाधि धारित करता है। यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में क्रमशः ज्योति के0के0 बनाम केरल लोक सेवा आयोग एवं विशाल यादव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालयों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अभ्यर्थी के पास उसी विषय/क्षेत्र में विज्ञापित अनिवार्य योग्यता से उच्चतर योग्यता उपलब्ध है, तो उसे केवल न्यूनतम योग्यता न होने के आधार	उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2025 का विज्ञापन दिनांक 07 मई, 2025 को जारी किया गया है, जिसमें कुल 123 पद विज्ञापित किये गये हैं। उपरोक्त 123 पदों में से 61 (01. डिप्टी कलेक्टर, 02. पुलिस उपाधीक्षक, 03 वित्त अधिकारी, 04. सहायक आयुक्त राज्य कर, 05. राज्य कर अधिकारी, 06. सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1, 07. कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, 08. जिला समाज कल्याण अधिकारी) समेकित पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक है तथा शेष 62 पदों हेतु प्रत्येक पद के लिए भिन्न–भिन्न शैक्षिक अर्हता है। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित पद की सूचना प्राप्त की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान की गयी आवेदित पद की सूचना के सापेक्ष अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम हेतु विचारित किया गया है। प्रार्थी श्री जितेन्द्र द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में समेकित पदों के साथ उप शिक्षाधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी/विद्यालयी शिक्षा के लिए आवेदन

		पर अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। उक्तानुसार प्रार्थी द्वारा पदकोड 16 एवं 18 के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित करने का अनुरोध किया गया है।	किया गया है तथा प्रार्थी श्री नाजिम मिकरानी द्वारा समेकित पदों के साथ सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षाधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी/ विद्यालयी शिक्षा के लिए आवेदन किया गया है परन्तु उक्त प्रार्थीगण द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में पद कोड 16 (सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) तथा पदकोड 18 (फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) के लिए आवेदन नहीं किया गया है, जिस कारण प्रार्थीगण को उक्त पदों के सापेक्ष विचारित नहीं किया गया है। उपरोक्त के क्रम में ऑनलाईन आवेदन पत्र में (सूचना अधिकारी /जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) तथा (फीचर लेखक (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग) पद के सापेक्ष दावा न किये जाने के कारण प्रार्थीगण के अनुरोध का अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।
02.	श्री नाजिम मिकरानी (अनुक्रमांक 509203) 13.01.2026	प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2025 में उनके प्राप्तांक 56.8993 हैं। उन्होंने बी0ए0, एम0ए0, एम0कॉम0 के साथ ही Master of Journalism & Mass Communication किया है तथा उन्हें दैनिक जागरण व अमर उजाला समाचार पत्र में लेखन का 03 वर्ष का अनुभव भी है। सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी पद के लिए अन्य पिछडा वर्ग की कट–ऑफ–मार्क्स 51.2089 हैं परन्तु उन्हें पात्र होने के वाबजूद भी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त के क्रम में मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	
03.	श्री विनोद चन्द्र काण्डपाल (अनुक्रमांक 502535) श्री रोहित गुलिया (अनुक्रमांक 543130)	प्रार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु दिनांक 06.10.2025 को घोषित परीक्षा परिणाम में उनका चयन मुख्य परीक्षा हेतु हुआ था, जिसके आधार पर मा0 आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये तथा परीक्षा शुल्क भी जमा कराया गया तथा लगभग 100 अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन भी नहीं किया गया और न ही शुल्क जमा किया गया है। परन्तु दिनांक 06. 01.2026 को घोषित संशोधित परीक्षा परिणाम में प्रार्थीगण एवं अन्य 47 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चयन से वंचित कर दिया गया। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि आयोग द्वारा Set 'A' का प्रश्न संख्या 70 विलोपित	उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2025 का परीक्षा परिणाम दिन. ांक 06.10.2025 को जारी किया गया था। इस परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में रिट याचिका सं0 455(एस0बी0)/2025 कुलदीप कुमार राठी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग योजित की गई, जिसमें मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2025 को निम्न निर्णय पारित किया गया :– "12. Accordingly, the writ petition is allowed. It is declared that Question No. 70 of Set 'A' of the General Studies paper in the aforesaid preliminary examination is defective and shall stand deleted from evaluation. The Uttarakhand Public Service Commission is directed to recompute the result of the prelimi-

		किया गया वह हिन्दी माध्यम में पूर्णतः सही था एवं प्रश्न संख्या 126 भी विषयवस्तु एवं संदर्भ की दृष्टि से सही प्रतीत होता है। इन प्रश्नों के विलोपन के कारण प्रार्थीगण एवं अन्य 47 अभ्यर्थियों का जो पूर्व में चयनित थे का चयन प्रभावित हुआ है। उक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम पर पुर्नविचार करते हुए उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने पूर्व परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क जमा किया गया है, को प्रश्नगत परीक्षा की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।	nary examination by deleting Question No. 70 of Set 'A' and publish the merit list as per the provisions contained in Regulations of 2022." मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र से 01 प्रश्न (Set 'A' Question No. 70) विलोपित करते हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की पुर्नगणना की गई, जिससे निर्मित मैरिट के आधार पर संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 06.01.2026 को जारी किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसके क्रम में प्रार्थीगण के अनुरोध का अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि मा0 आयोग द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये हैं।

-Sd-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव